प्रेस नोट

दीव के नागवा में अतिक्रमण पर चला बुल्डोजर

दीव. 11 जून, 2018.

संघ प्रदेश दमण एवं दीव के दीव जिला में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार जारी है । गत 07 जून को प्रशासन द्वारा ऐसी ही एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया । दीव के विख्यात और अत्यंत मनोहारी नागवा बीच पर जिला प्रशासन द्वारा 74,412 वर्गमीटर की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया ।

नागवा में फोर लेन सड़क से लगी सर्वे नंबर 171/0(पार्ट) की 74,412 वर्गमीटर सरकारी जमीन पर 42 स्थानीय लोगों ने कब्जा जमाया हुआ था । जिला प्रशासन ने कब्जेदारों को जमीन खाली करने हेतु पहले नोटिस दिया । बाद में मुकदमा भी दायर किया गया । अंत में उप समाहर्ता की कचहरी के आदेश से 07 जून, 2018 को अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन खाली करा ली गई । ज्ञात हो कि इस जमीन का बाजार भाव लगभग 500 से 750 करोड़ रूपये है ।

कोर्ट के आदेश से जिला के उप समाहर्ता डॉ. अपूर्व शर्मा और मामलतदार श्री चंद्रहास वाजा फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, जे.सी.बी.मशीन एवं पुलिस कर्मियों के साथ 07 जून, 2018 को तड़के 07.00 बजे अतिक्रमण स्थल पर पहुंचे । डॉ. शर्मा के मार्गदर्शन एवं मामलतदार की निगरानी में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आरंभ हुई । अतिक्रमण स्थल पर बने झोपड़े एवं दीवारों को जे.सी.बी. मशीन की सहायता से हटा दिया गया । इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटित हुई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूर्णत: शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई । अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी होने के बाद उप समाहर्ता ने लोक निर्माण विभाग को तत्काल मुक्त कराई गई सरकारी जमीन की घेराबंदी का आदेश दिया ।

उक्त सरकारी जमीन से अतिक्रमण के हटने से नागवा बीच के सौंदर्यीकरण को बल मिलेगा तथा वहां पर होनेवाली ट्राफिक जाम की परेशानी से भी पर्यटकों को निजात मिलेगी ।